(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1393—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—6—2016 न्यायालय अपर आयुक्त जिला रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2015—16.

.....

संदीप कुमार अग्रवाल आत्मज स्व0 श्री केदारनाथ अग्रवाल
निवासी— धवारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
..... आवेदक

विरूद्ध

1— गीता अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री तीरथ प्रसाद अग्रवाल
2— मालती देवी अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री तीरथ प्रसाद अग्रवाल
निवासीगण जवाहर नगर पानी की टंकी के पास
सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04/4/2017 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अपर आयुक्त जिला रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13—6—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम धवारी की आराजी खसरा नं0 334/5/1 रकवा 0.51 ए0 का अंश रकवा 30 बाई 60 वर्गफुट का नामांतरण जरिये वसीयत कु0 गीता अग्रवाल पके नाम आदेश दिनांक 13—4—2010 के द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया था। आपत्तिकर्ता संदीप

अग्रवाल द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13–4–2010 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये बताया कि प्रश्नाधीन आराजी के संबंध में सिविल वाद संस्थित है जिसपर अस्थाई निशेधाज्ञा दिनांक 16–5–05 को जारी है, अतस इस न्यायालय का आदेश दिनांक 13–4–2010 के पूर्व की स्थिति कायम की जाये। आपत्तिकर्ता के आवेदन पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 8–2–12 पर 13–4–10 के पहले की प्रविष्टी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जिसका पालन हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में किया गया। अनावेदिका गीता अग्रवाल द्वारा दिनांक 9–7–12 को इस आशय का आवेदन तहसीलदार को पेश किया कि दिनांक 8–2–12 को निरस्त कर अनावेदिका गीता अगवाल के नाम की प्रविष्टी अंकित की जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5–11–12 के द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30–9–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–6–16 के द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि दीवानी न्यायालय में व्यवहारवाद लंबित है और उक्त व्यवहार वाद में दिनांक 16–2–05 को स्थगन आदेश जारी किया गया था, उक्त स्थगन आदेश आज भी कायम है और किसी भी अदालत से निरस्त नहीं किया गया है। व्यवहार वाद के उक्त आदेश के पालन में ही दिनांक 8–2–12 एवं दिनांक 5–11–12 को आदेश पारित किया गाय था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को नजर अन्दाज कर जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–10 के विरूद्ध अपील प्रकरण कमांक 150/अपील/09–10 पेश किया था जिसपर

दिनांक 25–3–11 को आदेश पारित किया और विधिक आदेश पारित किया गया था। उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं परखा और नहीं समझा तथा जो आदेश पारित किया गया वह निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि 334/5/1/4 रकवा 0.016 हे में अनावेदिका के नाम जो इन्द्राज आदेश दिनांक 13–4–10 के आधार पर दर्ज किया गया था, उन्हीं सभी व्यक्तियों का नाम इन्द्राज किया जावे जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–3–11 के आदेश को जो कि अपने आप में स्पष्ट था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के खिलाफ आदेश पारित करने में त्रुटि की है। दीवानी न्यायालय में एवं माननीय उच्च न्यायालय में विधिक तौर पर स्थगन आदेश पारित किया गया था तब अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदिका गीता अग्रवाल का नाम खसरे में भूमिस्वामी की हैसियत से पूर्व से ही अंकित था। अपर जिला न्यायाधीश सतना के न्यायालय में अंतरण एवं भारित करने से निषेषित किया गया जिसका आदेश दिनांक 16–2–2005 है। इसी आदेश को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–3–2011 के आधार पर अपीलार्थी के अपील को स्थगित रखते हुये यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में तहसीलदार को 05–11–12 में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–9–15 के आधार पर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया है क्योंकि तहसीलदार को प्रकरण में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। उक्त करणों से अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13–6–16 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अनुविभागीय

अधिकारी के अभिलेख में संलग्न द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सतना के प्र0क0 59ए/2000 में पारित आदेश दिनांक 16–2–05 के द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है कि उभयपक्ष वादग्रस्त मकान का न तो अंतरण करें न ही वादग्रस्त मकान के स्वरूप में परिवर्तन करें तथा कोई निर्माण भी न किया जाये। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अस्थाई निषेधाज्ञा में यथास्थिति बनाये जाने के निर्देश के आधार पर हुये नामांतरण को भी दोषपूर्ण मानकर दिनांक 13–4–2010 के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है। जब व्यवहार न्यायालय से यथास्थिति के आदेश दिये गये थे तब अस्थाई निषेधाज्ञा के पूर्व हुये नामांतरण को त्रुटिपूर्ण मानकर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश देना विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को स्थिर न रखते हुये निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश से की गई है। अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों के विधिसम्मत समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13–6–16 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर